न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 703/2020 जी.सी.एम.एस. संख्या 2020/00579

1 श्रवण पुत्र बीजा, जाति बलाई, निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2 राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, मुण्डौता, उप तहसील मुण्डौता, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 48/2016 उनवानी श्रवण बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 15.11.2017 एवं उपतहसीलदार मुण्डौता द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 उनवानी सरकार बनाम श्रवण में पारित आदेश दिनांक 16/02/2016 के विरूद्ध।

उपस्थित–

1. बी.एल.वर्मा., वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–05.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 48/2016 उनवानी श्रवण बनाम राजस्थान सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट ने न्यायालय उपतहसीलदार मुण्डौता जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2016 को गलत बताते हुये इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 15.11.2017 को दिये गये।

3. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 16.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर निर्णय दिनांक 16.02.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का पुनाना तहसील आमेर, द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 743/1052 रकबा 0.40 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 307 रकबा 0.08 जो सिवाय चक भूमि थी एवं किसी भी तरह नियमन होने से प्रतिबन्धित नहीं थी एवं जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 की रिपोर्ट दिनांक 30/12/2010 के अन्तर्गत संवत् 2041 से लगातार आज दिनांक तक कब्जा चला आ रहा था एवं पत्रावली उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन है के बाबजूद 91 की कार्यवाही करके दिनांक 16/02/2016 को बेदखल कर दिया। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर तृतीय के यहां प्रस्तुत की जिसे दिनांक 15/11/2017 को बिना मैरिट एवं समुचित नोटिस व सुनवाई दिये जाने के बजाय निम्न आदेश के अन्तर्गत खारिज कर दिया। नायब तहसीलदार मुण्डौता एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट का कब्जा सिवाय चक भूमि पर संवत् 2041 से 35 वर्ष से भी अधिक से कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलान्ट इस भूमि को राज्य सरकार के तमाम परिपत्र, नियम, उप नियमों के अन्तर्गत नियमन कराने का अधिकारी है एवं नियमन की कार्यवाही लम्बित है फिर भी बेदखली एवं अदम् हाजरी में आदेश पारित करके न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान न्यायालय नायब तहसीलदार मुण्डौता एवं अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2016 एवं 15.11.2017 को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि के अपीलान्ट को नियमन किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किपटवारी हल्का पुनाना तहसील आमेर, द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 743/1052 रकबा 0.40 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 307 रकबा 0.08 जो सिवाय चक भूमि थी। जिस पर अपीलांट द्वारा कब्जा किया जाने के कारण उपतहसीलदार मूण्डौता द्वारा विधिवत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विधिवत् तामिल की प्रक्रिया पूर्ण कर नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी मे अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने के कारण नकल दिनांक 11.03.2020 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किउक्त मूल विवाद ग्राम

पूनाना की आराजी खसरा नम्बर 743/1052 रकबा 0.40 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 307 रकबा 0.08 सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उप तहसीलदार मूण्डौता द्वारा विधिवत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार एवं गिरदावार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है। प्रार्थी द्वारा अपील में स्वयं ने यह कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सिवायचक थी जिस पर प्रार्थी का संवत् 2041 से लगातारकब्जा है। ऐसे में उप तहसीलदार मूण्डौता द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के अंतर्गत अतिक्रमी मानकर सिवायचक भूमि से बेदखली के आदेश दिये गये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये गये है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 15.11.2017 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2017 एवं उपतहसीलदार मुण्डौता जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 16.02.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।